क्रम संख्या–223

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018 ई0

अग्रहायण 21, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 430 / XXXVI (3) / 2018 / 89(1) / 2018

देहरादून, 12 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विनियोग (2018–19 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 35, वर्ष– 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2018–19 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2018
(अधिनियम संख्या 35, वर्ष 2018)

31 मार्च, 2019 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम

1– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2018–2019 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2018 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2018–19 के लिये रु024524125000 का दिया जाना

2– ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0. 24524125000 (रुपया दो हजार चार सौ बावन करोड़ इकतालीस लाख पच्चीस हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुपूरक आय–व्ययक– 2018–19

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
01–	विधान सभा	राजस्व	200824	9484	210308
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	90939	0	90939
		पूँजी	200000	0	200000
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	146079	9642	155721
		पूँजी	0	0	0
05–	निर्वाचन	राजस्व	27561	0	27561
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	108290	0	108290
		पूँजी	2500	0	2500
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	2497170	2000000	4497170
		पूँजी	1060000	0	1060000
08–	आबकारी	राजस्व	23680	0	23680
		पूँजी	0	0	0
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	238860	0	238860
		पूँजी	25000	0	25000
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	1854406	0	1854406
		पूँजी	206214	0	206214
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1201389	0	1201389
		पूँजी	460000	0	460000
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	1164991	0	1164991
		पूँजी	677000	0	677000
14–	सूचना	राजस्व	422782	0	422782
		पूँजी	0	0	0
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	1146963	0	1146963
		पूँजी	90000	0	90000
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	252580	0	252580
		पूँजी	20000	0	20000
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	2191653	0	2191653
		पूँजी	920000	0	920000
18–	सहकारिता	राजस्व	50300	0	50300
		पूँजी	0	0	0

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	931717	0	931717
		पूँजी	1250000	0	1250000
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	61700	0	61700
		पूँजी	419157	0	419157
21–	ऊर्जा	राजस्व	6000	0	6000
		पूँजी	100000	0	100000
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	529395	0	529395
		पूँजी	1710000	0	1710000
23–	उद्योग	राजस्व	163511	0	163511
		पूँजी	0	0	0
24–	परिवहन	राजस्व	124449	0	124449
		पूँजी	20000	0	20000
25–	खाद्य	राजस्व	10450	0	10450
		पूँजी	5	0	5
26–	पर्यटन	राजस्व	52410	0	52410
		पूँजी	10000	0	10000
27–	वन	राजस्व	148139	0	148139
		पूँजी	65798	0	65798
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	344746	0	344746
		पूँजी	55500	0	55500
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	131835	948	132783
		पूँजी	0	0	0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	657161	0	657161
		पूँजी	52730	0	52730
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	262468	0	262468
		पूँजी	117699	0	117699
	योग–	राजस्व	15042448	2020074	17062522
		पूँजी	7461603	0	7461603
	महायोग		22504051	2020074	24524125

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 सपठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य विधान सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रस्तावित विधेयक यह उपबन्धित करता है कि वित्तीय वर्ष 2018–2019 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदान मांगों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से किया जा सके।

प्रकाश पन्त
वित्तमंत्री